BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVIII | 31st March 2017 | No. 3

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में महामहिम राज्यपाल एवं माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हुए शामिल

महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद जी को राजस्थानी टोपी एवं साफा द्वारा स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में श्री राजेश जैन एवं अन्य।

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 11 मार्च, 2017 को चैम्बर प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चैम्बर के आमंत्रण पर महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द जी मुख्य अतिथि के रूप में कृपापूर्वक उपस्थित थे। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने केशर तिलक लगाकर एवं रंगीन राजस्थानी टोपी पहनाकर तथा गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत किया। महामहिम राज्यपाल ने चैम्बर सदस्यों एवं बिहार के समस्त व्यवसायियों को होली की शुभकामनाएं दीं।

समारोह के अवसर पर माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव, पूर्व मंत्री श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, माननीय विधायक श्री संजीव कुमार चौरसिया, पूर्व विधान पार्षद श्री गंगा प्रसाद, महाधिवक्ता श्री राम बालक महतो, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री रामलाल खेतान, डॉ० सज्जन डिडवानियाँ, डॉ० उषा डिडवानियाँ, डॉ० शशि मोहनका, डॉ० एस० एस० झा, महावीर कैंसर संस्थान के निदेशक श्री विश्वजीत सान्याल, डॉ० अरविन्द कुमार, डॉ० एन० के० अग्रवाल, डॉ० विनय कुमार, डॉ० यू० सी० इस्सर, श्री एन० के० अग्रवाल, अधिवक्ता, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के वरीय पदाधिकारीगण, बैंकों के पदाधिकारीगण, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के बन्धुओं सहित चैम्बर सदस्य सपरिवार सम्मिलित हुए।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि होली आपसी प्रेम, सौहार्द एवं एकता का प्रतीक है। होली हमें आपसी भेदभाव को त्याग कर एक दूसरे से गले मिलने को प्रेरित करता है। इसी भावना को ध्यान में

महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद का स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, श्री आशीष शंकर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन।

राजस्थानी नृत्य एवं गीत का लुत्फ उठाते महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद। उनकी बाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं दाँयीं ओर पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं अन्य।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

चैम्बर प्रांगण में दिनांक 11 मार्च, 2017 को आयोजित 'होली मिलन समारोह' काफी भव्यता के साथ सम्पन्न हुआ। समारोह की भव्यता का श्रेय आप सभी बन्धुओं को जाता है। इस हेतु आपको हार्दिक धन्यवाद। मैं आशान्वित हूँ कि भविष्य में भी आपका चैम्बर के कार्यक्रमों में इसी प्रकार की सक्रियता एवं हार्दिक सहयोग चैम्बर को प्राप्त होता रहेगा।

समाचार-पत्रों के माध्यम से आपको ज्ञात हुआ होगा कि दिनांक 25 मार्च, 2017 को स्मार्ट सिटी पटना मिशन में चैम्बर की सहभागिता हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज और पटना नगर निगम के बीच Memorandum of Undertaking (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस कार्य में भी आपके सहयोग की आवश्यकता होगी।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने 2017-2018 के लिए बिजली दरों की घोषणा कर दी है। 55% की वृद्धि से निश्चित तौर पर उद्योग एवं व्यापार जगत प्रभावित होगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग की सुनवाई के दौरान चैम्बर की ओर से पूरा प्रयास किया गया कि वृद्धि नहीं हो। BERC द्वारा घोषित विद्युत दरों के बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान (Subsidy) की घोषणा की गयी है वह उद्यमियों एवं व्यवसायियों के लिए उत्साहवर्द्धक प्रतीत नहीं होता है। उद्यमियों एवं व्यवसायियों को उपयुक्त राहत प्रदान कराने हेतु चैम्बर प्रयासरत है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) जुलाई, 2017 से प्रभावी होने की पूर्ण सम्भवना है। GST के प्रावधान एवं प्रणाली नयी है। इस हेतु व्यवसायियों को GST की पूर्ण जानकारी प्रदान कराने हेतु दिनांक 03 अप्रैल, 2017 को GST पर एक संगोष्ठी चैम्बर प्रांगण में आयोजित होगी। आप बन्धुओं से आग्रह है कि इस संगोष्ठी में सम्मिलित होकर GST से सम्बन्धित अपनी समस्याओं एवं शंकाओं का समाधान प्राप्त करें।

आप सभी बन्धुओं को वासन्तिक नवरात्र एवं रामनवमी की शुभकामनाएँ।

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

राजस्थानी नृत्य एवं गीत का आनन्द उठाते महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद। बाँयीं ओर क्रमशः उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री राजेश जैन एवं अन्य।

महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद से वार्तालाप करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री मोती लाल खेतान।

समारोह के दौरान महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद के साथ बाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री सच्चिदानन्द। दाँयीं ओर श्री राधेश्याम बंसल, श्री अभिजीत कश्यप, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं पूर्व कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी।

राजस्थानी लोक गीत प्रस्तुत करते कलाकार।

राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत करते राजस्थानी कलाकार।

होली मिलन समारोह में पधारे माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव।
उनकी बाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं दाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को
राजस्थानी टोपी पहनाते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह को
केशर तिलक लगाते श्री आशीष शंकर।

समारोह में उपस्थित बाँयें से विधायक श्री दिलीप वर्मा, पूर्व अध्यक्ष
श्री ओ० पी० साह एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

राजस्थानी लोक नृत्य एवं गीत का लुत्फ उठाते माननीय केन्द्रीय
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव।
उनकी दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं अन्य।

राजस्थानी लोक नृत्य एवं गीत का आनन्द बाँये से महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महाधिवक्ता श्री राम बालक महतो।

राजस्थानी लोक नृत्य एवं गीत का लुत्फ उठाते अतिथिगण एवं सदस्यगण।

राजस्थानी कलाकारों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति।

राजस्थानी कलाकारों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति।

राजस्थानी कलाकार द्वारा नृत्य की विभिन्न भंगिमाओं की प्रस्तुति।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को केशर तिलक करते पूर्व विधान पार्षद श्री गंगा प्रसाद। साथ में श्री राज कुमार।

समारोह में उपस्थित बाँये से चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री विजय कुमार कुशवाहा, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व मंत्री श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा एवं श्रीमती नीलम अग्रवाल।

समारोह में उपस्थित दाँये से महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुष्मा साहू, श्रीमती गीता जैन, श्रीमती सरला चौधरी एवं श्रमती नीलम अग्रवाल।

सुस्वादिष्ट व्यंजनों का रसास्वादन करते अतिथिगण एवं सदस्यगण।

समारोह के दौरान राजस्थानी कलाकारों के साथ नृत्य करती महिलाएँ एवं बच्चे।

रखते हुए चैम्बर प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन करता है ताकि हम आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे को गले लगायें।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि चूँकि रंग-अबीर में कई तरह के रसायनों का प्रयोग होने लगा है जो त्वचा के लिए हानिकारक होता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण को प्रदूषित और जल की बर्बादी करता है। इसी के आलोक में चैम्बर में पर्यावरण के अनुकूल फूलों की होली का आयोजन किया गया है।

चैम्बर अध्यक्ष ने आगत अतिथियों का गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा करते हुए होली की शुभकामनाएं दी एवं आपसी प्रेम एवं सौहार्द सहित होली का त्योहार मनाने का अनुरोध भी किया।

होली मिलन समारोह में आगंतुकों के लिए पारंपरिक सुस्वादिष्ट व्यंजनों सहित उनके मनोरंजन हेतु जयपुर के सुविख्यात ललित राणा ग्रुप द्वारा राजस्थानी लोक नृत्य एवं गीत का कार्यक्रम रखा गया था। गीत-नृत्य एवं सुस्वादिष्ट व्यंजनों का आगंतुकों ने भरपुर लुत्फ उठाया।

समारोह में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, श्री मोती लाल खेतान, चैम्बर उपाध्यक्ष एवं होली मिलन समारोह आयोजन समिति के संयोजक श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री नवीन कुमार मोटानी, श्री राजेश कुमार खेतान, श्री सांवल राम डूंलिया, श्री आशीष शंकर, श्री पवन भगत, श्री सच्चिदानन्द, श्री राजेश जैन, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री रमेश गांधी, श्री अजय कुमार गुप्ता आदि सम्मिलित थे जिन्होंने समारोह में सक्रिय भूमिका निभाई।

होली मिलन समारोह की संध्या बेला में पूरा चैम्बर प्रांगण रंगीन बल्बों की रौशनी से जगमग था, आगंतुकों का स्वागत केशर तिलक लगाकर और गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर, सबों को इत्र लगाकर तथा रंग बिरंगी राजस्थानी टोपी पहनाकर हो रहा था। पूरा परिसर गुलाब की पंखुड़ियों से भरा पड़ा था, इत्र की खुशबु चारों ओर फैली थी।

होली मिलन समारोह की छवि लोगों की स्मृति में काफी दिनों तक बनी रहेगी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज तथा पटना नगर निगम के बीच स्मार्ट सिटी पटना प्रोजेक्ट हेतु MoU हस्ताक्षरित किये जाने हेतु कार्यक्रम का आयोजन

MOU हस्ताक्षरण के अवसर पर उपस्थित दाँयें से अपर नगर आयुक्त श्री शीर्षत कपिल अशोक, नगर आयुक्त श्री अभिषेक सिंह, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, महामंत्री श्री शशि मोहन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

दिनांक 25 मार्च, 2017 (शनिवार) को चैम्बर प्रांगण में स्मार्ट सिटी पटना प्रोजेक्ट में चैम्बर की सहभागिता हेतु MoU हस्ताक्षरित किये जाने के लिये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने की। नगर आयुक्त श्री अभिषेक सिंह, भा०प्र०से०, अपर नगर आयुक्त श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा०प्र०से० के साथ-साथ बड़ी संख्या में चैम्बर के सदस्यों एवं अन्य गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

सभा को सम्बोधित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने सर्वप्रथम सभी का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने बताया कि दिनांक 25 फरवरी 2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल उनके नेतृत्व में पटना नगर निगम के नगर आयुक्त श्री अभिषेक सिंह से मिला था

एवं उनका ध्यान पटना नगर से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर आकृष्ट किया था। उसी क्रम में नगर आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को बताया था कि स्मार्ट पटना प्रोजेक्ट में चैम्बर को सहयोग करना चाहिए। वे चाहते थे कि पटना के विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण एवं रख-रखाव में चैम्बर सहयोग करे जिस पर चैम्बर प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त को आश्वस्त किया था कि पटना के इन कार्यों में चैम्बर अवश्य योगदान करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि नगर विकास मंत्रलय, भारत सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा की है जिसके अंतर्गत देश के चयनित शहरों में योजनाबद्ध तरीके से आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं सृजन, शहरों में स्वच्छ वातावरण सृजन, स्मार्ट नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा नागरिक समस्याओं के निदान हेतु प्रभावकारी सिस्टम प्रदान करना, आदि की व्यवस्था की जानी है।

राजधानी पटना स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने की चयन प्रक्रिया के तीसरे दौर में है। राज्य सरकार ने पटना नगर निगम को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया है जो कि एक Special Purpose Vehicle के माध्यम से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हेतु विभिन्न प्रकार के नागरिक विकास के कार्यक्रम प्रारंभ करेगा।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत क्षेत्र आधारित विकास कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का निर्णय लिया है। चैम्बर द्वारा निम्न क्षेत्रों में भागीदारी की जायेगी :-

1. महिलाओं हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र
2. स्कूली छात्राओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं हेतु सेनेटरी पैड डिस्पेन्सर की व्यवस्था
3. साईकिल शेयरिंग योजना
4. वाटर एटीएम

इसी आलोक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें पटना नगर निगम एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के बीच Memorandum of Understanding हस्ताक्षरित किया जाएगा।

चैम्बर की ओर से मैं स्वयं एवं पटना नगर निगम की ओर से श्री अभिषेक सिंह, नगर आयुक्त MoU पर हस्ताक्षर करेंगे।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैम्बर न सिर्फ राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के हितों की बात करता है बल्कि समय-समय पर समाज कल्याण के कार्यों में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है और उसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है।

अपर नगर आयुक्त श्री शीषत कपिल अशोक ने अपने उद्बोधन में कहा कि पटना नगर निगम की कार्य प्रणाली में हाल के दिनों में काफी बदलाव आया है। निगम शहरी सुविधाओं के अपेक्षित विकास को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा स्मार्ट सिटी पटना प्रोजेक्ट में भागीदारी किये जाने के निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि चैम्बर के शामिल हो जाने से पटना के स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने की चयन की प्रक्रिया को काफी बल मिलेगा तथा प्रबल सम्भावना है कि राजधानी को चयनित कर लिया जायेगा।

श्री अभिषेक सिंह नगर आयुक्त ने अपने सम्बोधन में कहा कि स्मार्ट सिटी प्रपोजल को तैयार करने का श्रेय चैम्बर को भी जाता है क्योंकि इसके द्वारा दी गई जानकारियाँ तथा सुझावों से हम काफी लाभान्वित हुए हैं। चैम्बर जैसे Leading Civil Society Organisation के प्रोजेक्ट में शामिल हो जाने से Proposal की विश्वसनियता काफी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि पटना एक लगातार बढ़ता हुआ शहर है जिसमें विकास की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं तथा इसके आलोक में निवेश की सम्भावनाएँ भी बहुत अधिक हैं। नगर निगम ने 13 संस्थानों जिसमें रेलवे, परिवहन निगम, ब्रेडा, बिडको, दक्षिणी बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी इत्यादि के साथ-साथ बिहार चैम्बर शामिल है, के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सहभागिता हेतु MoU करने का निर्णय लिया था। आज चैम्बर के साथ MoU हस्ताक्षरित हो जाने के पश्चात् स्मार्ट सिटी का फाइनल प्रपोजल सरकार को सौंप दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि कुल 2776 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, पैन सिटी सोल्यूशन, सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मिलाकर शहर की हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसके अन्तर्गत रेलवे जंक्शन, गाँधी मैदान, चैम्बर के सामने का क्षेत्र, बस स्टैण्ड, आर० ब्लॉक के साथ-साथ पटना के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कई कार्य किये जायेगे साथ ही झुग्गी-झोपड़ी में रहनेवाली आबादी के लिये उपयुक्त चिन्हित् स्थानों पर विशेष घरों की व्यवस्था की जायेगी। Model Streets बनाये जायेगें A Side walk, Parking, Markets, Wi-fi, Integrated Waste Management, Integrated Command & Control System, Trasportation, e-governance इत्यादि की समुचित व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है ।

नगर आयुक्त ने बताया कि दुर्भाग्यवश यदि पटना का चयन स्मार्ट सिटी हेतु न भी हो पाये तो भी सरकार ने 800-900 करोड़ रु० का PPP Based Development Model तैयार किया है जिसके अन्तर्गत शहरी विकास के कार्य किये जायेंगे तथा पटना विकास के मानकों पर राज्य को एक नई परिभाषा देगा।

उन्होंने कहा कि बिहार चैम्बर की पहल काबिले-तारीफ है। चैम्बर ने उन सामाजिक क्षेत्रों के विकास का चयन किया है जो सामान्यत: प्रशासन की नजर से चूक जाता है। इस हेतु चैम्बर की जितनी प्रशंसा की जाये, कम होगी।

नगर आयुक्त के समक्ष चैम्बर के सदस्यों ने अपनी समस्याएँ एवं सुझाव भी रखें ।

इंजीनियर राकेश कुमार ने बिल्डरों की समस्या रखते हुए नगर आयुक्त से आग्रह किया कि लम्बित नक्शों को Clear करने की प्रक्रिया को तेज कराया जाये, साथ ही ऐसी व्यवस्था भी की जाये कि तय समय सीमा में आवेदित नक्शों का निपटारा हो सके। सड़कों की चौड़ाई आधिकारिक रूप से सार्वजनिक की जाये। प्रत्येक सड़क के लिए नालों का लेबल फाइनल करा दिया जाये तथा बिल्डिंग बाइलॉज में आवश्यक संशोधान कर उसका सुधार कर लिया जाये।

श्री प्रदीप कुमार ने सफाई की समस्या पर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया तथा कहा कि नाला तो बन जाता है परन्तु सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पाता है।

श्री सच्चिदानंद ने कहा कि पहले शहर का ड्रेनेज सीधे गंगा नदी में गिरता था बाद में क्लीन गंगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया परन्तु इसके क्रियान्वयन में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि सड़क पुनर्निमाण के बाद सड़क की ऊचाँई बढ़ जाती है जिसके कारण चैम्बर आदि नीचे हो जाता है और दिक्कतें आती हैं।

श्री किशोर कुमार अग्रवाल ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि रेस्टोरेंट होटल वाले लोग अपना कचरा रात में सड़कों में फेंक देते हैं। मौर्या लोक इसका उदाहरण है जहाँ निगम का कार्यालय भी है।

श्री सुबोध जैन ने कहा कि बेंडिंग जोन का आइडिया बहुत बढ़िया है परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये कि वेन्डर द्वारा सड़क का अतिक्रमण न किया जाये।

श्री उत्पल सेन ने गर्दनीबाग नाले की समस्या से अवगत कराते हुये उसके निदान का अनुरोध किया।

श्री अमित मुखर्जी ने कहा कि बुद्धा स्मृति पार्क के आस-पास ऑटो एवं अन्य गाड़ियों के अवैध पार्किंग तथा ऑफ लोडिंग की समस्या रखी।

श्री राजीव अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी के प्रारम्भ के तौर पर नो हार्न जोन बनाया जा सकता है।

श्री आलोक पोद्दार ने छोटे-छोटे इलाकों में सुपरवाइजर की नियुक्ति किये जाने का सुझाव दिया जिससे कि सफाई व्यवस्था अवरूद्ध नहीं होने पाये।

श्री पशुपति नाथ पाण्डेय ने कहा कि मुख्य सड़कों पर तो सफाई की जाती है परन्तु बाई लेन्स में गंदगी फैली रहती है जिसपर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

श्री मुकेश जैन, चैम्बर उपाध्यक्ष ने हथुआ मार्केट में अतिक्रमण की समस्या पर प्रकाश डालते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 24 मार्च से प्रशासन द्वारा प्रतिदिन अतिक्रमण हटाया जाता है परन्तु 2 घंटे के भीतर ही स्थिति पूर्ववत हो जाती है। ये अभियान 28 मार्च तक चलेगा परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका बहुत अधिक लाभ नहीं हो पायेगा। अत: उन्होंने अनुरोध किया कि अतिक्रमण की समस्या का कोई स्थाई हल निकाला जाये।

श्री राजेश खेतान ने सुझाव दिया कि इससे पहले कि अतिक्रमण स्थाई रूप ले ले, इसे समाप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री अनिल पचिसिया ने कहा कि बाईलेनों की स्थिति अभी काफी दयनीय है। अतिक्रमण बचाने के लिये बाईलेनों की चौड़ाई की आधिकारिक माप कराये जाने की आवश्यकता है। सफाई की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के मंशा के अनुरूप नीचे के अधिकारी/कर्मचारी काम नहीं कर पाते हैं। अत: इस हेतु जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

चैम्बर के सदस्यों की शिकायतों एवं सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नगर आयुक्त ने निम्न विचार व्यक्त किये :-

- नक्शे पास करने की प्रक्रिया में काफी सुधार किया गया है तथा जो नये नक्शे जमा किये जा रहे हैं उनका निष्पादन 60 दिनों के भीतर कर दिये जाने की व्यवस्था की गई है। सारे लम्बित नक्शे भी अगले डेढ़ माह में निष्पादित कर दिये जायेंगे।
- सड़कों के पुनर्निर्माण के समय उसकी उचाई से सम्बन्धित माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी आदेश पारित किया है जिसका अक्षरश: अनुपालन किया जाना है। उन्होंने चैम्बर सदस्यों से अनुरोध किया कि यदि उनकी नोटिस में कहीं इस आदेश का उल्लंघन किया जा रहा हो तो तुरन्त निगम को सूचित करें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
- बिल्डिंग बाईलॉज की समीक्षा की जा रही है तथा बिल्डर एसोसियेशन के सुझावों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया जायेगा।
- नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा रहा है जिसके पश्चात् पटना का सीवरेज ठीक हो जायेगा।
- यदि कोई रेस्टोरेंट या होटल वाले सड़कों पर कचरा फैलाते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कचरा फैलाने वालों को पहचाना एवं पकड़ा जाये।
- पटना जंक्शन के निकट बकरी बाजार के पास तथा अन्य क्षेत्रों में हौकर्स / वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है जिसमें शहर के दूसरों भागों से विस्थापित वेंडर को Rehabilitate किया जायेगा।
- बुद्धा स्मृति पार्क से लेकर पटना जंक्शन के बीच सबवे के निर्माण की योजना है जिसमें पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी।
- बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी से सम्बन्धित चैम्बर के सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दे के बारे में उन्होंने कहा कि वे सम्बन्धित अधिकारियों को इस हेतु आदेश देंगे ताकि समस्या का निदान किया जा सके।।
- उन्होंने बताया कि निगम के पास अभी कर्मचारियों की कमी है परन्तु सुपरवाईजर की बहाली एक अच्छा सुझाव है इस हेतु प्रयास किया जायेगा।
- हथुआ मार्केट क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाना और उसे दुबारा न लगने देना मुलत: प्रशासन की जिम्मेवारी है परन्तु फिर भी निगम का प्रयास होगा कि यह क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त रहे।
- उन्होंने कहा कि आधिकारिक रूप से रोड की चौड़ाई का माप कराकर सड़कों पर उसका बोर्ड भी लगाने की व्यवस्था की जायेगी।

इसके उपरान्त नगर आयुक्त एवं चैम्बर अध्यक्ष ने हस्ताक्षर कर स्मार्ट सिटी पटना प्रोजेक्ट में चैम्बर की भागीदारी किये जाने के प्रारम्भ को अंतिम रूप दिया।

श्री शशि मोहन, महामंत्री के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

बिहार के विकास से काफी प्रभावित हूँ : मासायूकी

कहा– प्रयास करूंगा कि जापानी पर्यटक बड़ी संख्या में बिहार आएं

जापान के काउंसिल जेनरल श्री मासायुकी टागा को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में दाँयीं ओर पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री सुनील सरॉफ, अधिवक्ता, एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश खेतान तथा बाँयीं ओर श्री सावल राम डोलिया एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री नवीन कुमार मोटानी।

जापान और भारत के लोगों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करना दोनों देशों के हित में है तथा वे अपने स्तर पर इस के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। यह उनका बिहार का पहला भ्रमण है, लेकिन यहाँ हो रहे विकास के कार्यों से वे काफी प्रभावित हुए है। ये बातें कोलकाता स्थित जापान के काउंसिल जेनरल मासायूकी टागा ने दिनाकं 2 मार्च 2017 को बिहार चैम्बर के अधिकारियों के साथ मुलाकात में कही। श्री मासायूकी ने कहा कि वर्तमान में जापानी पर्यटक की बड़ी संख्या देश के दक्षिण एवं पश्चिम भागों के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करती है। उनका प्रयास होगा कि जापानी पर्यटक बड़ी से बड़ी संख्या में बिहार भी आये क्योंकि इस राज्य में भी ऐसे स्थलों को कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि जापानी निवेशकों द्वारा जमशेदपुर, खड़गपुर आदि पूर्वी राज्य के कई शहरों में निवेश प्रारंभ किया जा चुका है। बिहार में भी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के साथ-साथ रेडीमेड वस्त्र उद्योग तथा बायो यूनिट की स्थापना की बड़ी संभावना हैं जिसमें जापान के निवेशक रुचि ले सकते हैं।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने जापान के काउंसिल जेनरल का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश के लोगों के बीच भी मजबूत रिश्ते बने हैं तथा इसका लगातार विस्तार हो रहा है। बिहार जो कि भगवान बुद्ध की स्थली है यहाँ जापान सहित पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं अत: यह आवश्यक है कि जापान तथा भारत के लोगों के बीच के संबंधों को अधिक से अधिक मजबूती प्रदान की जाये।

श्री अग्रवाल ने कहा कि बिहार जहाँ कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की असीम संभावनाएँ होने के कारण यहाँ जापान की उन्नत तकनीक वाले मशीन एवं उपकरणों की अत्यधिक जरूरत है और इससे इन औद्योगिक क्षेत्र का

वर्तमान स्वरूप भी बदला जा सकता है।

उन्होंने काउंसिल जेनरल से आग्रह किया कि वे बिहार में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की असीम संभावनाओं तथा इस प्रांत में उपलब्ध दक्ष एवं सस्ते मानव संसाधन की उपलब्धता से जापान के उद्यमियों को परिचित करायें ताकि इसके परिणामस्वरूप जापान के उद्यमियों द्वारा बिहार में कम से कम छोटे स्तर का निवेश तो ही संभव हो पायेगा। मौके पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, नवीन कुमार मोटानी, गणेश कुमार खेतड़ीवाल, राजेश खेतान, सुनील सराफ, सावल राम ड्रोलिया, सुबोध कुमार जैन आदि मौजूद थे।

(साभार : प्रभात खबर, 3.3.2017)

व्यवसायियों के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी हो : चैम्बर

अपराधियों के बढ़ते मनोवल ने व्यवसायियों को एक बार फिर सांसत में डाल दिया है। गत दिनों हाजीपुर में पटना सिटी के व्यवसायी अंकित रहोतगी एवं उनके स्टॉफ दीपू की लूटपाट के दौरान अपराधियों द्वारा की गई हत्या पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने चिंता जताई है। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि पटना एवं हाजीपुर करीब होने के कारण यहाँ के व्यवसायी वहाँ के व्यवसायियों के साथ कारोबार करते हैं। सुदूर स्थानों में भी कारोबार होता है। इस तरह की घटना से व्यवसायी भयभीत हो जाएंगे और कारोबार पर भी विपरीत असर पड़ेगा। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। उनके आसान लक्ष्य उद्यमी और व्यवसायी हैं। हाजीपुर में हुई हत्या ने व्यवासायियों को फिर भयभीत कर दिया है। इसके पूर्व भी गत वर्ष अपराधियों ने लूटपाट के क्रम में लोहा व्यवसायी की हत्या कर दी थी। ऐसा लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर राज्य और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। चैम्बर ने मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक एवं वैशाली के पुलिस अधीक्षक से ऐसे असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने और हत्या में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 7.3.2017)

जीएसटी लागू होने से सेवाएं होंगी महंगी, कई चीजें सस्ती

लोकसभा ने दिनांक 29.3.2017 को नौ घंटे की बहस के बाद वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी। आने वाले दिनों में (संभवत: एक जुलाई से) देश में नयी कर व्यवस्था लागू होगी और इसका असर हर सेक्टर पर पड़ेगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर किस सेक्टर पर इसका क्या असर होगा। सेवा (रेस्टूरेंट में खाना, हवाई यात्रा व रेल टिकट आदि) महंगे होंगे, तो आम लोगों के उपभोग वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो जायेंगी। छोटी कारें, एसयूवी, बाइक, पेन व सीमेंट सस्ते होंगे। तंबाकू, सिगरेट आदि की कीमतें बढ़ जायेंगी, क्योंकि इन्हें विलासिता की श्रेणी में रखा गया है। इन पर उपकर भी लगेगा।

जानिए जीएसटी के बारे में सब कुछ

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे करों की जगह सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा।

चार टैक्स स्लैब : जीएसटी में चार टैक्स स्लैब है- 5, 12, 18 और 28 फीसदी किस टैक्स स्लैब में कौन सामान होगा, इस पर अभी जीएसटी काउंसिल को फैसला करना है।

उपभोक्ताओं को फायदा : उपभोक्ताओं पर दोहरे कर का भार नहीं पड़ेगा। किसी भी वस्तु पर राज्य अपनी तरफ से ज्यादा कर नहीं लगा सकेंगे। हालांकि सेवा कर बढ़ने से बोझ बढ़ेगा।

सरकार का खजाना भरेगा : विशेषज्ञों के अनुसार जीएसटी की वजह से अर्थव्यवस्था के विकास में दो फीसदी का उछाल आ सकता है। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, क्योंकि करों में पारदर्शिता आयेगी।

किस सेक्टर को फायदा : लॉजिस्टिक कंपनियों को जीएसटी से फायदा होगा। पूरे देश में सामान पहुँचाना उनके लिए आसान होगा।

कर विवाद में कमी : जीएसटी से कई बार टैक्स देने से छुटकारा मिल जायेगा। इससे कर की वसूली करते समय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा कर में हेराफेरी की संभावना भी कम हो जायेगी। एक ही व्यक्ति या संस्था पर कई बार टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्पाद शुल्क, सेवा कर और राज्यों के वैट इसमें शामिल हो जायेंगे।

जानिए क्या होगा आप पर असर

आपकी रसोई पर : दैनिक जीवन में काम आने वाली अधिकतर वस्तुओं पर या तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आटा दाल चावल, नमक, तेल आदि पर कोई कर नहीं लगता है। कुछ प्रोसेस्ड चीजों पर मामूली कर लगता है।

खेती-किसानी पर : किसानों को फायदा ही होगा, क्योंकि जीएसटी से परिवहन लागत घटेगी, जिससे खेती में काम आने वाले सामानों की लागत घटेगी। हालांकि पेट्रोलियम पदार्थों के जीएसटी के दायरे से बाहर रहने की वजह से उर्वरकों के सस्ता होने की संभावना नहीं हैं। ट्रैक्टर और अन्य तरह की मशीनरी के सस्ता होने की संभावना है।

पेशेवरों पर बढ़ेगा बोझ : चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड सेक्रेटरी और कुछ अन्य पेशेवरों को महंगा पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर जीएसटी लगने से पेशेवर भी इसके दायरे में आयेंगे, कई राज्यों में सेवा दे रहे प्रोफेशनलों को हर राज्य में अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि अभी केन्द्रीयकृत होता है। रिटर्न भी अलग-अलग राज्य में उसी तरह दाखिल करना होगा।

व्यापार पर असर : कंपनियों को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा, सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकार के 49000 कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी है।

(साभार : प्रभात खबर, 30.3.2017)

8983.5 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पास

वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वर्ष 2016-17 के 8983.5 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट के कुल व्यय में राजस्व मद में 4011.96 करोड़ का प्रावधान है। विनियोजित राशि में राजस्व मद में 4011.77 करोड़ है। कुल पूंजीगत व्यय में मददेय राशि 4971.54 करोड़ रुपये है। गैर योजना मद में यह राशि 1316.08 करोड़ है। राज्य योजना में 5628.76 करोड़ रुपये का प्रावधान है। केन्द्रीय योजनागत में 34.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विभाग	(राशि लाख में)	विभाग	(राशि लाख में)
ऊर्जा	212665	कृषि	3456
ग्रामीण कार्य	176000	लघु जल संसाधन	3448
समाज कल्याण	116952	भवन निर्माण	2856
स्वास्थ्य	69773	सहकारिता	1999
शिक्षा	62252	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	1989
नगर विकास	51985	परिवहन	435
जल संसाधन	47500	राजस्व एवं भूमि सुधार	405
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा	41232	विधि	326
पथ निर्माण	30000	पर्यावरण एवं वन	236
पंचायती राज	20228	निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध	171
मंत्रिमंडल सचिवालय	12502	पशु एवं मत्स्य संसाधन	109
गृह	12502	खान एवं भूतत्व	60
उद्योग	9471	विधान मंडल	60
लोक स्वास्थ्य	6265	सामान्य प्रशासन	19
आपदा प्रबंधन	6000	पेंशन	15
अल्पसंख्यक कल्याण	5424	वित्त	12
श्रम संसाधन	4942	उच्च न्यायालय	4
सूचना प्रावैद्यिकी	4500		

(साभार : दैनिक जागरण, 4.3.2017)

छोटे कारोबारियों को जीएसटी में बड़ी राहत

राज्यों के वित्तमंत्रियों की बैठक में पाँच फीसदी कर लगाने पर सहमति बनी

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने शनिवार को छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया। जीएसटी लागू होने पर 50 लाख तक का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों पर सिर्फ 5 फीसदी कर लगेगा। यह लाभ निर्माण, ढाबा और रेस्तरां सेवा क्षेत्र के सभी छोटे कारोबारियों को मिलेगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 5.3.2017)**

हर पाँच में से चार महिलाएँ उद्यमी बनने के काबिल

जमाना काफी आगे बढ़ गया है। अब महिलाओं को भी काम करने के बेहतर मौके मिल रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों मार्केट में महिला उद्यमी भी बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी ही बात एक सर्वे में भी सामने आयी है। जी हाँ, फेसबुक द्वारा किये गये एक सर्वे के मुताबिक देश की हर पाँच में से चार महिलाएँ उद्यमी बनने की काबिलियत रखती हैं, बशर्ते उनके सशक्तीकरण के लिए बेहतर प्रयास किये जायें, उन्हें सपोर्ट मिले। सर्वे में पाया गया है कि अगर ऐसी महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो देश में 1.55 लाख व्यवसाय और 6.4 करोड़ ज्यादा रोजगार मिलने की संभावना है। इस सर्वे के मुताबिक अगर अभी से शुरूआत की जाये, तो इतने व्यवसाय और रोजगार के लक्ष्य को 52 प्रतिशत महिलाओं के दम पर 2021 के अंत तक पूरा किया जा सकता है। इसमें न सिर्फ आर्थिक रूप से देश मजबूत होगा, बल्कि रोजगार से जुड़ी बड़ी समस्या से भी काफी हद तक राहत मिल सकेगी।

कई महिलाएँ हुई हैं आत्मनिर्भर : हमारे यहाँ ऐसी कई महिलाएँ आती हैं, जो यहाँ से कई तरह की सीख लेती हैं। अपना उद्योग शुरू करने के लिए कई परेशानियों का सामना करती है। उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए भी एक्सपर्ट महिला मौजूद रहती है। पहले की अपेक्षा महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ी है। लेकिन कुछ महिलाओं को परेशानी होती है। इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण महिलाओं की फिजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने के लिए बहुत भाग-दौड़ की जरूरत होती है। इसी कारण कई महिलाएँ चूक जाती हैं। क्योंकि उन पर घर की जिम्मेवारी भी होती है। उद्योग खोलने के लिए सुबह से रात तक भी भागमभाग करनी होती है। सही बाजार दिलाने के लिए भी घूमना होता है। लेकिन आज भी कई महिलाएँ समाज के बहकावे में आकर उनसे डर कर, ताने सुन कर अपना काम शुरू करने से पहले ही बंद कर देती हैं। आज से 20 साल पहले सड़क पर एक बाइक चलाती महिला दिख जाती थी, तो उस महिला के लिए समाज में तरह-तरह की बातें होती थी। आज कई महिलाएँ बाइक या स्कूटी चलाती है। लोग कुछ नहीं कहते क्योंकि समाज की सोच बदली है। इसलिए अगर सामाजिक सोच बदले, तो महिलाएँ अपना उद्योग बहुत जल्द शुरू कर सकती है। – **पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

महिलाएँ टैलेंट होने के बावजूद बिजनेस शुरू नहीं कर पाती, क्योंकि : • घरवालों से सपोर्ट नहीं मिलता • परिवारवालों को लगता है कि बिजनेस में पैसा लगाना मूर्खता है, वो भी एक महिला के बिजनेस में, जिसका मुख्य काम (उनके मुताबिक) सिर्फ खाना बनाना व घर सभालना है • आसपास के माहौल की वजह से महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी होती है। उन्हें लगता है कि वह ये सब नहीं कर पायेंगी • डर रहता है कि कहीं बिजनेस सफल न हुआ तो सभी उन्हें ताना मारेंगे कि जो काम आता है, बस वही किया करो • बिजनेस खड़ा करने के लिए उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिलती • अगर महिलाएँ बिजनेस शुरू करने का सोचती भी हैं, तो उन्हें धमकी दी जाती है कि घर के काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पूरा घर का काम व्यवस्थित हो, उसके बाद ही काम करना • बिजनेस और घर साथ-साथ चलाना मुश्किल होती है। यह तभी हो सकता है, जब पति व सास-ससुर का सपोर्ट मिले। अगर सभी घर की थोड़ी-थोड़ी जिम्मेदारियाँ बाँट लें, तो घर की महिला भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, बिजनेस कर सकती है • कई बार पति को यह पसंद नहीं होता कि महिला बिजनेस करे और इस दौरान उसे दूसरे पुरुषों से बात करना पड़े, उनके साथ काम करना पडे। **(साभार : प्रभात खबर, 4.3.2017)**

राज्य में कड़ी दर कड़ी विकास की निरंतरता

राज्य में विकास यात्रा की निरंतरता बरकरार है। अगले वित्तीय वर्ष का बजट भी कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ने के संकल्प का आईना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय भी इसी की कड़ी हैं और ताजा बजट में इन्हें सबसे अधिक प्राथमिकताएँ मिली हैं। विकास की निरंतरता इस अर्थ में भी कि 2006 में योजना आकार और बजट आकार के फैलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह खजाने पर नोटबंदी और शराबबंदी के थपेड़ों के बावजूद आगे भी कायम रहेगा। वर्ष 2017-18 का बजट इसका भरोसा दिलाता है। बड़ी बात यह है कि विकास के कदम बढ़ रहे हैं और आर्थिक सेहत भी दुरुस्त है।

मुम्बई महानगर पालिका से भी छोटा होता था बिहार का बजट : वर्ष 2006-07 के 27136.47 करोड़ के बजट से 2017-18 के 160085.69 करोड़ के बजट की तुलना करने पर जमीन-आसमान का फर्क साफ नजर आता है। यह साल दर साल तरक्की की कहानी भी बयाँ करता है। एक समय था जब लोग कहा करते थे कि मुम्बई महानगर पालिका से भी बिहार का बजट छोटा है। आज मुम्बई महानगर पालिका का बजट 37 हजार करोड़ का है और बिहार का डेढ़ लाख करोड़ से अधिक का। बिहार ने पहली बार बड़ी छलांग लगाते हुए एक लाख करोड़ के बजट की सीमा वित्तीय वर्ष 2014-15 में पार की, उस वर्ष 116886 करोड़ का बजट था। इससे पहले यानी वर्ष 2013-14 का बजट 80404 करोड़ का था।

सियासी उथल-पुथल भी नहीं थाम पाया विकास की गति : जदयू -भाजपा सरकार ने 2005 में जब विकास पथ पर कदम बढ़ाया तो उस समय तमाम क्षेत्रों मेंआधारभूत संरचना का अकाल जैसा था। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र बदहाल थे। तब से अब तक का सफर काफी लंबा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात विकास दर को कायम रखना है। बारह वर्ष को एक युग माना जाता है और इस अवधि में राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद बिहार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 2013 में भाजपा सत्ता से बाहर हुई, उस वर्ष से आज की तुलना करने पर बिहार का बजट दो गुना हो चुका है। यानी विकास यात्रा में सियासत आड़े नहीं आई। यह इतर मसला है कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य में औद्योगिक विकास की गति को तेजी मिलने के आसार हैं।

बजट दर बजट : • साल-दर-साल बजट और योजना आकार में बढ़ोतरी का सिलसिला बरकरार • शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना पर जोर • **37** हजार करोड़ का बजट मुम्बई महानगर पालिका का है • **1.5** लाख करोड़ से अधिक का बजट है बिहार का

आगे बढ़ने की दूरदृष्टि : सामाजिक-आर्थिक के साथ सरकार का जोर आधारभूत संरचना के विकास पर रहा है। हर क्षेत्र में कड़ी-दर-कड़ी आगे बढ़ने की दूरदृष्टि भी है। मसलन पहले बड़ी सड़कें बनी, फिर जिलों की, जिलों के अंदर की और अब 250 बसावटों तक समेत पाँच घंटे में किसी कोने से पटना पहुँचने के लायक सड़कों के निर्माण पर जोर है। इसी तरह बुनियादी शिक्षा को मजबूती देने से शुरू हुई यात्रा उच्चतर शिक्षा की तरफ बढ़ रही है। साइकिल ने बच्चियों को स्कूल पहुँचाया तो आरक्षण से उनके रोजगार सुनिश्चित होंगे। बिजली उत्पादन की परियोजनाओं की स्थापना से शुरू हुई यात्रा ग्रिड स्टेशनों के निर्माण, गांवों तक बिजली पहुँचाने के बाद अब कनेक्शन देने की मुहिम। युवाओं और बेरोजगारों की उम्मीदें पूरी करने की तरफ कदम बढ़े हैं। गाँव व गरीब नीतीश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शुरू से रहे हैं। **(सा.: हिन्दुस्तान, 28.2.17)**

छह और बिजलीघरों से इस साल के अंत तक बिहार को मिलेगी बिजली

बिहार को इस साल से छह नए बिजलीघरों से बिजली मिलेगी। बिजलीघरों के नए शेड्यूल के अनुसार इस वर्ष के अंत तक इनसे बिहार को लगभग 2700 मेगावाट बिजली मिलेगी। इससे बिहार का न केवल बिजली संकट दूर होगा, बल्कि बाजार पर निर्भरता भी कम होगी। इसके साथ ही इस वर्ष बिहार को सौर ऊर्जा से 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने का भी अनुमान है। बिहार में सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 15.3.2017)

BIHAR ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

For NBPDCL and SBPDCL Area, Comparative Chart of Proposed and Approved Retail Tariff for FY 2017-18 (w.e.f 1st April 2017)

SCHEDULE OF TARIFF RATES

Sl No	Category/Sub-category of Consumers	Tariff Rates Proposed by NBPDCL & SBPDCL for FY 2017-18			Tariff Rates Approved by the Commission for FY 2017-18		
		Fixed Charge	Energy Charge	Unit Slabs	Fixed Charge	Energy Charge	Unit slabs
A	**LOW TENSION SUPPLY**						
1	**Domestic**						
1.1	Kutir Jyoti (Unmetered) (BPL)	Rs.350/month/ connection	0		Rs.350/month/connection	0	
1.2	Kutir Jyoti (metered) (BPL)	Rs.70/kW/Month	Rs.5.40/unit	0-50 units	Rs.10/month/Connection	Rs.5.75/unit	0-50 units
			As per DS-I Metered	Above 50 units		As per DS-I Metered	Above 50 units
1.3	DS-I Rural (Unmetered)	Rs.500/kW/month	0		Rs.500/month/connection	0	
1.4	DS-I Rural (Metered)	Rs.80/kW/Month	Rs.5.50/Unit	0-50	Rs.20/kW or part/month	Rs.5.75/Unit	0-50
			Rs.6.20/Unit	51-100		Rs.6.00/Unit	51-100
			Rs.7.80/Unit	Above 100		Rs.6.25/Unit	Above 100
1.5	DS-II (Urban Demand based)	Rs.90/kW/month	Rs.6.30/Unit	1-100	Rs.40/kW or part/month	Rs.5.75/Unit	1-100
			Rs.7.50/Unit	101-200		Rs.6.50/Unit	101-200
			Rs.7.90/Unit	201-300		Rs.7.25/Unit	201-300
			Rs.8.10/Unit	Above 300		Rs.8.00/Unit	Above 300
2	**Non-Domestic**	**NDS-I,NDS-II,NDS-III and NDS-IV are proposed to merge and form one category NDS (Demand based)**					
2.1	NDS-I Rural (Unmetered)	Rs.550/kW/Month	0		Rs.550/month/connection	0	
2.2	NDS-I Rural (Metered)	Rs.190/kW/month	Rs.7.10/Unit	1-100	Rs.30/kW or part/month	Rs.6.00/Unit	1-100
			Rs.7.60/Unit	101-200		Rs.6.50/Unit	101-200
			Rs.8.80/Unit	Above 200		Rs.7.00/Unit	Above 200
	NDS-II (Demand based)						
2.3	NDS-II Contract demand upto 0.5 kW	Rs.190/kW/month	Rs.7.10/Unit	1-100	Rs.100/month/connection	Rs.6.00/Unit	All Units
			Rs.7.60/Unit	101-200			
			Rs.8.80/Unit	Above 200			
2.4	NDS-II Contract demand above 0.5 kW	Rs.190/kW/month	Rs.7.10/Unit	1-100	Rs.180/kW or part/month	Rs.6.00/Unit	1-100
			Rs.7.60/Unit	101-200		Rs.6.50/Unit	101-200
			Rs.8.80/Unit	Above 200		Rs.7.00/Unit	Above 200
3	**Irrigation and Agriculture Services (Connected load based)**						
3.1	IAS-I (Unmetered)	Rs.950/HP/month	0		Rs.800/HP or part/month	0	
3.2	IAS-I (Metered)	Rs.30/HP/month	Rs.5.60/Unit	All Units	Rs.30/HP or part/month	Rs.5.25/Unit	All Units
3.3	IAS-II (Unmetered)	Rs.2520/HP/month	0		Rs.2100/HP or part/month	0	
3.4	IAS-II (Metered)	Rs.700/HP/month	Rs.6.20/Unit	All Units	Rs.200/HP or part/month	Rs.6.20/Unit	All Units
4	**Low Tension Industrial (Demand Based,kVAH)**	**LTIS-I and LTIS-II proposed to merge and form one category as LTIS (Demand based and kVAh)**					
4.1	LTIS-I	Rs.200/kW /month	Rs.6.05/kVAh	All Units	Rs.160/kW or part/month	Rs.6.05/kVAh	All Units
4.2	LTIS-II	Rs.200/kW /month	Rs 6.05/kVAh	All Units	Rs.200/kW or part/month	Rs.6.05/kVAh	All Units
5	**Public Water Works (Demand based,kVAh)**	**PWW and SS are proposed to merge and form one category (Demand based, kVAH)**					
5.1	PWW	**Unmetered-** Rs.375/100W/Month	**Metered** Fixed charge Rs.500/kW/Month ,Energy charge-Rs.7.20/kVAh		Rs.350/kW or part/month	Rs.7.50/kVAh	All Units
6	**Street Light Services**						
6.1	SS-Metered (Demand Based)				Rs.50/kW or part/month	Rs.7.00/Unit	All Units
6.2	SS-Unmetered				Rs.375/100W or part/month	0	
B	**High Tension Supply**						
1	HTS-I	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.90/kVAh	All Units	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.20/kVAh	All Units
2	HTS-II	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.80/kVAh	All Units	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.15/kVAh	All Units
3	HTS-III	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.70/kVAh	All Units	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.10/kVAh	All Units
4	HTS-IV	Rs.300/kVA/Month	Rs.5.00/kVAh	All Units	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.05/kVAh	All Units
5	HTSS (33kV)	Rs.700/kVA/Month	Rs.3.70/kVAh	All Units	Rs.700/kVA/Month	Rs.3.70/kVAh	All Units
6	RTS (132kV)	Rs.280/kVA/Month	Rs.6.35/kVAh	All Units	Rs.280/kVA/Month	Rs.6.35/kVAh	All Units

Note : 1. **MMC from all categories of consumers have been withdrawn in new Tariff Order to be effective from 01.04.2017.**
2. **Demand Based Tariff have been approved for all LT consumers except Kutir Jyoti, DS-I, Agricultural & NDS-I categories.**

दुर्घटना मुआवजा 10 लाख रुपये करने की सिफारिश

सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को कम से कम 10 लाख रुपये देने का नया प्रावधान किया है। इतना ही नहीं पीड़ित परिवार को यह राशि तीन माह के भीतर मुहैया कराना अनिवार्य होगा। संसद की स्थायी समिति ने सरकार के उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने 2016 को संसद में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2015 पेश किया था। कई मुद्दों पर आम राय नहीं बन पाई तो विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया। सूत्रों ने बताया कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने जनवरी 2017 को संसदीय समिति के पास उपरोक्त प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूरी दे दी गई है। विधेयक में नए प्रावधान के अनुसार यदि पीड़ित परिवार बीमा राशि से संतुष्ट नहीं है तो ज्यादा आर्थिक सहायता देने की अपील कर सकता है।

पहले दो लाख मिलते थे : विधेयक में बदलाव का सबसे अधिक फायदा गरीबों को होगा। अधिकांश गरीबों को बीमा कंपनी से 50,000 से 2,00,000 मुआवजा मिलता था। लेकिन अब 10 लाख रुपये मिलेंगे। **(सा. : हिन्दुस्तान, 4.3.17)**

विद्युत दरों में वृद्धि से चैम्बर चिंतित

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 24.03.2017 को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वर्ष 2017-18 के लिए घोषित विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरों में की गई वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि डी. एस. II श्रेणी जिसके अन्तर्गत आम शहरी उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा वर्ग आता है, में 90 प्रतिशत से भी अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है। एन.डी.एस. I (ग्रामीण) जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायिक/वाणिज्यिक संस्थान आते हैं, में 100 प्रतिशत से भी अधिक की बढ़ोत्तरी की गई है। एन.डी.एस. II श्रेणी जिसके अन्तर्गत शहरी व्यवसायिक/वाणिज्यिक संस्थान आते हैं, में भी काफी वृद्धि की गई है। उसी प्रकार से बड़े व्यवसायिक/वाणिज्यिक संस्थानों हेतु एलटीआईएस की श्रेणी के साथ-साथ औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु एचटी श्रेणी में भी बड़ी वृद्धि की गई है।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक राजस्व की आवश्यकता का अन्तर कुल 5294.63 करोड़ रुपया आंका गया है जिसकी भरपाई के लिए 4700.28 करोड़ रुपये का बोझ सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर डाला गया है तथा केवल शेष 594.35 करोड़ के राजस्व की क्षतिपूर्ति विद्युत कंपनियों को अपने कार्यकलापों में सुधार लाकर जैसे वितरण क्षति घटाना, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण को बढ़ाना, वित्तीय अनुशासन का अनुपालन करना इत्यादि का आदेश पारित किया गया है। यह न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग-धंधों की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अत: विद्युत दरों में की गई 55%की औसत वृद्धि का कुप्रभाव यहाँ के उद्योग-धंधों पर पड़ना निश्चित है। जिससे राज्य की विकास दर भी प्रभावित होगी।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयला एवं तेल की दरों में आयी कमी के फलस्वरूप विद्युत उत्पादन के खर्चों में कमी को देखते हुए ऐसी आशा थी कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत की दरों में कमी की जाएगी इसके विपरीत अप्रत्याशित वृद्धि किया जाना अत्यन्त चिन्ताजनक है।

चैम्बर अध्यक्ष ने आगे कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने बिजली वितरण कंपनियों से सदैव यह आग्रह किया है कि उसके द्वारा राज्य सरकार एवं उसके विद्युत विनियामक के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है परन्तु विद्युत कंपनियों के कार्यक्लापों में आशानुरूप सुधार न आने (विशेषकर वितरण क्षति में अपेक्षित कमी नहीं ला पाने) का ही यह कुपरिणाम है कि विद्युत दरों में ऐसी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

जीएसटी के लिए करना होगा डाटा माइग्रेशन

उत्पाद एवं सेवा शुल्क (जीएसटी) में शामिल होने के लिए कॉरपोरेट कंपनियों से लेकर कारोबारियों को जुलाई के पहले अपना डाटा माइग्रेट करना होगा। वैट में पंजीकृत कारोबारियों को जीएसटी में निबंधन और माइग्रेशन नहीं कराने के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाणिज्यकर विभाग बीते 22 दिसम्बर तक पूरे राज्य में जीएसटी में निबंधन का जागरूकता अभियान चला चुका है। प्रदेश में करीब 750 कॉरपोरेट कंपनियाँ और 2.50 लाख फर्म वैट में निबंधित हैं। सभी को जीएसटी में शामिल होना है।

हर उत्पाद की सूचना : जीएसटी प्रभावी होने के बाद देश के किसी भी हिस्से से बिहार के लिए चले उत्पाद की ऑनलाइन जानकारी वाणिज्यकर विभाग को मिल जाएगी। कंपनी, सी एंड एफ या थोक कारोबारी अपने खाते में बिक्री का डाटा अपलोड करेंगे और वह वाणिज्यकर विभाग को मिल जाएगी। विभाग को पता होगा कि किस प्रदेश के किस कारोबारी ने बिहार में किसे कितनी मात्रा में उत्पाद आपूर्ति की है। जीएसटी के कारण वाणिज्यकर विभाग को पूरा रिकार्ड मिल सकेगा।

किसी कारोबारी का वार्षिक टर्नओवर यदि 20 लाख से कम है तो उसे जीएसटी में निबंधन से छूट होगी। खुदरा कारोबारी को इससे राहत दी गई है।

(साभार : दैनिक जागरण, 4.3.2017)

जीएसटी लागू, तो 240 फैक्टरियां बंद होंगी बंद!

बिस्कुट विनिर्माताओं ने सरकार को आगाह किया है कि कम कीमतवाले ग्लूकोज, और अन्य तरह के बिस्कुट को प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया गया, तो करीब 240 बिस्कुट फैक्टरियाँ बंद हो जायेंगी। बिस्कुट विनिर्माताओं ने जीएसटी के तहत कम कीमतवाले बिस्कुटों को राहत दिये जाने की मांग करते हुए कहा है कि 100 रुपये प्रति किलो से कम कीमतवाले बिस्कुट कम लाभ देने वाले उत्पाद हैं। मौजूदा समय में केन्द्रीय उत्पादक शुल्क से इन्हें छूट मिली है।

बिस्कुट विनिर्माता कल्याण संघ के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता मयंक शाह ने बताया, 'बिस्कुट पर प्रस्तवित एक समान 12 प्रतिशत की जीएसटी, गरीबों से अन्याय साबित होगा, क्योंकि 100 रुपये प्रति किलो से नीचे खुदरा बिक्री होनेवाले बिस्कुट को 'मेरिट गुड्स' माना जाता है। अगर इन उत्पादों को शामिल किया गया, तो करीब 240 बिस्कुट फैक्टरियां बंद हो जायेंगी।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 9.3.2017)

ड्रग लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन आवेदन

40 हजार लाइसेंसी दवा दुकानें हैं पूरे राज्य में • **03** हजार रजिस्ट्रेशन फीस है पाँच साल के लाइसेंस के लिए

स्वास्थ्य विभाग ने ड्रग लाइसेंस में पारदर्शिता लाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था तीन माह के अंदर शुरू हो जाएगी।

दवा दुकानदारों को अभी लाइसेंस के लिए मैनुअल आवेदन करना पड़ता है। दवा दुकानदारों की शिकायत है कि लाइसेंस लेने में कई अनियमितताएं हैं। विभाग को लाइसेंस देने के लिए अवैध वसूली की भी शिकायतें मिलती थी। यही नहीं लाइसेंस के लिए कई माह तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिए विभाग ने व्यवस्था की है कि लाइसेंस का ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और एक निर्धारित समय के अंदर लाइसेंस निर्गत करना होगा। स्वास्थ्य विभाग इसकी मॉनिटरिंग करेगा।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आर० के० महाजन ने कहा कि लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था शीघ्र शुरू होगी।

दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश निकाला है कि सभी दवा दुकानदारों को फार्मासिस्ट रखना होगा और उनके वेतन का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से करना होगा। विभाग को जानकारी मिली थी कि कई फार्मासिस्ट एक लाइसेंस पर दो से चार दवा दुकानों में काम कर रहे हैं और कई जगहों से वेतन ले रहे हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.3.2017)

स्टार्टअप : उद्योग लगाने के लिए ब्याज रहित लोन

कैबिनेट का फैसला

राज्य सरकार नई स्टार्ट अप नीति 2017 लाएगी। स्टार्टअप नीति 2016 को निरस्त करते हुए नई नीति लाई गई है। नई नीति के तहत नए आइडिया के साथ

उद्योग लगाने को इच्छुक उद्यमी को दस लाख का लोन बिना किसी ब्याज के मिलेगा। पूर्व की नीति में दस लाख तक अनुदान देने की व्यवस्था थी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत स्टार्टअप नीति के तहत नए आइडिया के साथ उद्योग लगाने वालों से आवेदन लिए जाएंगे। इन आवेदनों के चयन के लिए सलाहकार समिति गठित होगी। चयनित आवेदकों को नीति के तहत लाभ दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस नीति के तहत 500 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड पहले से बना हुआ है। इसमें 50 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति भी राज्य कैबिनेट ने पहले ही दे दी है। जानकारी के अनुसार 25 करोड़ तक सालाना टर्न ओवर वाले उद्योग ही इसके दायरे में आएंगे।

अप्रैल से होगी नीरा की बिक्री : अप्रैल 2017 से नीरा की बिक्री शुरू होगी। इसकी सहमति कैबिनेट ने दे दी। बिक्री जीविका द्वारा की जाएगी। इसके लिए नीरा केन्द्र खुलेंगे। सरकारी भूमि पर लगे ताड़ के पेड़ों की बंदोबस्ती की जाएगी। वहीं निजी जमीन के ताड़ के पेड़ के मालिक से सहमति लेकर उससे नीरा निकाला जाएगा। ताड़ से नीरा उतारने के बाद उसे ठंडे वर्तन में रखा जाएगा। बिक्री के बाद जो नीरा बच जाएगा, उससे गुड़ बनाया जाएगा। नीरा उतारने का काम इस कार्य से जुड़े लोगों को ही दिया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.3.2017)**

खाते में तय राशि नहीं होने पर एसबीआई शुल्क लेगा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के ग्राहकों को न अप्रैल से अपने खाते में न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर बैंक उनसे निर्धारित शुल्क वसूलेगा। न्यूनतम राशि की सीमा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से अलग-अलग तय की गई है।

एसबीआई अधिकारियों के अनुसार, महानगरों में रहने वालों ग्राहकों को अपने खाते में पाँच हजार रुपये की न्यूनतम राशि रखना जरूरी होगा। वहीं, शहरी क्षेत्रों में यह सीमा तीन हजार रुपये, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में दो हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र की बैंक शाखाओं में यह सीमा एक हजार रुपये निर्धारित की गई है। यह नियम 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होगा। महानगरों की बैंक शाखाओं में यदि न्यूनतम राशि 75 प्रतिशत से कम है तो बैंक सौ रुपये और सेवा कर वसूलेगा। न्यूनतम राशि 50 से 75 प्रतिशत के बीच है तो बैंक 75 रुपये और सेवा कर वसूलेगा। वहीं, खाते में 50 प्रतिशत से कम न्यूनतम राशि है तो बैंक 50 रुपये और सेवा कर बतौर जुर्माना वसूलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम राशि के आधार पर बैंक ग्राहकों से 20 से 50 रुपये और साथ में सेवा कर वसूल करेगा। 1 अप्रैल से ही बैंक शाखाओं से 3 बार से अधिक जमा-निकासी पर एसबीआई 50 रुपये शुल्क वसूलेगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 4.3.2017)**

बैंक से नकद लेन-देन महंगा

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के सरकार के दबाव में बैंकों ने नकदी लेन-देन पर शुल्क लेना शुरू कर दिया है। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक एसबीआई ने 1 अप्रैल से घरेलू शाखा (होम ब्रांच) में हर महीने तीन से ज्यादा नकद लेन-देन पर शुल्क वसूलने का फैसला किया है। जबकि निजी बैंक एचडीएफसी ने 1 मार्च से मुफ्त नकदी लेन-देन की सीमा चार तय कर दी है।

एसबीआई तीन से अधिक नकद लेन-देन पर प्रति लेन-देन 50 रुपये शुल्क वसूलेगा। यह शुल्क बचत खातों पर ही लगेगा और गैर घरेलू शाखा में भी यह लेन-देन करने की इजाजत होगी। चालू खातों में 25 हजार से ऊपर प्रतिदिन के लेन-देन पर शुल्क वसूला जाएगा।

नकदी लेन-देन पर शुल्क लगाने की सिफारिश नीति आयोग द्वारा गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने बीते दिनों केन्द्र से की थी। सूत्रों की मानें तो सरकार राजनीतिक नुकसान के मद्देनजर इस संबंध में बजट में नियम नहीं लाई।

सूत्रों के मुताबिक आरबीआई से संकेत मिलने के बाद ही बैंक इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। संभव है कि अन्य सार्वजनिक बैंक भी जल्द नकदी लेन-देन पर शुल्क वसूलने का फरमान जारी कर दें।

एचडीएफसी ने से घरेलू शाखा में पाँच की बजाय चार मुफ्त लेन-देन की छूट तय की है। इसके बाद निकासी और जमा पर शुल्क के तौर पर 150 रुपये, टैक्स और उपकर देना होगा, क्योंकि बैंक ने निशुल्क लेनदेन की फीस 50 फीसदी तक बढ़ा दी है। बैंक ने घरेलू शाखा में मुफ्त लेन-देन की सीमा दो लाख रुपये तय की है। इसी तरह, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने भी एक सीमा के बाद प्रति निकासी 150 रुपये लेना शुरू कर दिया।

बच्चों के खातों पर शुल्क नहीं : बुजुर्गों और बच्चों के खातों पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। व्यावसायिक प्रतिनिधि के पास जमा या निकासी के पहले चार लेन-देन एक माह में मुफ्त हैं। इसके बाद आधार के जरिए या डेबिट कार्ड के जरिए लेन-देन पर पाँच रुपये शुल्क लगेगा।

मोबाइल बैंकिंग 31 मार्च से अनिवार्य करें बैंक : सरकार ने सभी बैंकों से कहा है कि अपने सभी ग्राहकों को 31 मार्च तक मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी सचिव अरूणा सुंदरराजन ने कहा कि हमने बैंकों से कहा है कि जिन ग्राहकों के पास मोबाइल हैं उन्हें मोबाइल बैंकिंग में सक्षम बनाया जाए। हमने बैंकों से कहा है कि वे 31 मार्च तक देशव्यापी अभियान चलाएं ताकि मोबाइल फोन रखने वाले ग्राहक मोबाइल बैंकिंग में सक्षम हों। सुंदरराजन ने कहा कि यूपीआई या भीम एप का इस्तेमाल ग्राहक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह मोबाइल बैंकिंग चाहते हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.3.2017)

अब 15 करोड़ तक की योजनाएं मंजूर कर सकेंगे मंत्री, पहले थी 10 करोड़

परियोजनाओं को मंजूरी देने का मंत्रियों का अधिकार बढ़ा

राज्य में विकास योजनाओं को गति देने के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देने का मंत्रियों का अधिकार बढ़ा दिया गया है। अब विभागों के मंत्री 10 करोड़ की बजाए 15 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। वहीं विभाग के मंत्री के अनुमोदन से वित्त मंत्री 20 करोड़ की बजाए 30 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। इससे अधिक की योजनाओं को ही केबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।

नए प्रावधान को लागू करने के लिए कार्यपालिका नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके तहत विभाग के सचिव 2.5 करोड़ रुपए की बजाए अब 5 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। इसी तरह विभाग के मंत्री 5 करोड़ रुपए से लेकर 15 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देंगे। इससे अधिक लेकिन 30 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को विभाग के मंत्री के अनुमोदन से वित्त मंत्री मंजूरी देंगे। इससे अधिक की योजनाएं ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजी जाएगी।

नए नगर निकायों में 5 साल तक खाली जमीन पर टैक्स नहीं : राज्य में नए बनने वाले नगर निकायों में खाली जमीन पर पाँच साल तक या मकान बनने तक टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए कैबिनेट ने बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 में संशोधन कर दिया है। इसके तहत नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर पालिका के गठन पर उसकी सीमा में खाली जमीन पर पाँच साल तक टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसी अवधि के भीतर अगर उस जमीन पर मकान बन जाता है तो होल्डिंग टैक्स लगने लगेगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 16.3.2017)

बेनामी संपत्ति जब्ती के लिए गाइडलाइन जारी

नोटबंदी की तरह बेनामी संपत्ति के लिए भी चलेगा अभियान

बेनामी संपत्ति कानून को सख्ती से लागू करने के लिए केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने नया गाइडलाइन जारी किया है। अगले वित्तीय वर्ष से इस गाइडलाइन को लागू किया जाएगा। मार्च तक इनकमटैक्स राजस्व वसूली टारगेट को पूरा करने में व्यस्त रहेगा। इसके बाद बेनामी संपत्ति कानून पर जोर दिया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि नोटबंदी की तरह बेनामी संपत्ति को जब्त करने के लिए अभियान चलेगा। नए गाइडलाइन में इनिशिएटिंग ऑफिसर (पहल अधिकारी), स्वीकृति अधिकारी, प्राधिकरण व अपीलीय ट्रब्यूनल के क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया है। बेनामी संपत्ति जब्ती की शुरुआती कार्रवाई इनिशिएटिंग आफिसर करेंगे। पहल अधिकारी द्वारा पारित आदेश पर प्राधिकरण अथॉरिटी आदेश पारित कर सकता है। बेनामी संपत्ति पर आदेश पारित करने के

पूर्व पहल अधिकारी व बेनामीदार का पक्ष सुना जाएगा। प्राधिकारण के पास मामले को फाइल करने के लिए सारे कागजात के साथ शपथपत्र भी चाहिए। निर्णायक प्राधिकार के आदेश के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। दो सदस्यों में एक सदस्य न्यायिक क्षेत्र से व एक सदस्य प्रशासनिक क्षेत्र से होंगे। न्यायिक सदस्य भारतीय विधि सेवा व प्रशासनिक सदस्य भारतीय राजस्व सेवा के मुख्य आयुक्त स्तर के अधिकारी होंगे। केन्द्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशाविरा कर अध्यक्ष को हटा सकता है।

अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दिया जाएगा। बेनामी संपत्ति के कागजात पर पहल अधिकारी बेनामी संपत्ति धारक को नोटिस जारी कर सकते हैं और इस बेनामी संपत्ति को तीन माह का औपबंधिक रूप से जब्त किया जा सकता है। पहल अधिकारी जब्त संपत्ति को आगे भी जब्त रख सकता है। इस आदेश को बेनामी संपत्ति वाले 15 दिनों में निणार्यक प्राधिकार में चुनौती दे सकते हैं।

तीन सदस्यीय टास्क फोर्स गठित : बेनामी संपत्ति की जब्ती के लिए इनकमटैक्स ने तीन सदस्यीय टास्क फोर्स गठित की है। डिप्टी कमिश्नर संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया की पहल करेंगे। इस टास्क फोर्स में पहल अधिकारी, स्वीकृति अधिकारी व प्रशासक शामिल होंगे। पहल अधिकारी इनकम टैक्स पटना के रंज वन के सहायक आयुक्त, स्वीकृति अधिकारी संयुक्त आयुक्त व प्रशासक आईटीओ स्तर का अधिकारी होंगे। स्वीकृति अधिकारी की स्वीकृति के बाद पहल अधिकारी किसी भी बेनामी संपत्ति की जांच कर सकते हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 3.3.2017)

6 मार्च, 2017 को ZRUCC, कोलकाता की बैठक में चैम्बर प्रतिनिधि श्री रामचन्द्र प्रसाद द्वारा कार्यसूची में अंकित मदों पर अभियुक्तियों के अतिरिक्त उठाये गये अन्य मुद्दे :-

- पूरब की ओर जाने वाली ट्रेनों का परिचालन दानापुर से और पश्चिम की ओर जाने वाली ट्रेनों का परिचालन राजेन्द्र नगर टर्मिनल से किया जाये।
- उत्तर बिहार की ट्रेने पटना जंक्शन से खुले और पाटलिपुत्र जंक्शन होकर चले।
- मुजफ्फरपुर या छपरा से पटना आने वाली ट्रेने पाटालिपुत्र स्टेशन पर ही टर्मिनेट कर दी जाती है। उसे पटना जंक्शन होते हुए राजन्द्र नगर टर्मिनल तक ले जाया जाये क्योंकि इसमें अधिकतर यात्री पटना आकर उसी दिन वापस जाना चाहते हैं और पाटलिपुत्र जंक्शन से उन्हें आने और जाने में समय की काफी बर्बादी होती है।
- उत्तर बिहार की जिन रूटों को छोटी लाईन से बड़ी लाईन में बदलने की प्रक्रिया चल रही है, उन रेल लाईनों का दोहरीकरण भी इसी प्रक्रिया में शुरू कर दिया जाये ताकि भविष्य में लाभ हो।
- पाटलिपुत्र जंक्शन पर बुनियादी सुविधाओं का आभाव है। इसे और बेहतर बनाने की व्यवस्था हो।
- राज्य स्थित सभी रेलवे साइडिंग पर भी बुनियादी सुविधा यानि रोशनी, पीने की पानी तथा वर्षा से बचाव हेतु शेड की व्यवस्था की जाये जहाँ नहीं है। साथ ही सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाये।
- पटना से खुलने वाली लम्बी दूरी की सभी ट्रेनों में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के लिए 4 बर्थ का कोटा निर्धारित किया जाय क्योंकि चैम्बर के सदस्यों को अक्सर आकस्मिक कार्यवश बाहर जाना होता है।
- पाटलिपुत्र जंक्शन से नयी राजधानी एक्सप्रेस शुरू की जाये।
- पटना जंक्शन से वाराणसी के बीच इन्टरसिटी ट्रेन शुरू की जाय।

क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति की 121वीं बैठक में विचार-विमर्श हेतु कार्यसूची की मदों पर अभ्युक्तियाँ

सुझाव : बिहार के सभी जिलों में पूरा रेक रखने की क्षमता वाले कम से कम दो गुड्स साइडिंग टर्मिनलों की व्यवस्था।

अभियुक्ति : 1. भागलपुर जिला : भागलपुर में आने वाले एवं बाहर जाने वाले रेकों को संभालने के लिए कुल रेक हैंडलिंग सुविधा उपलब्ध है। किन्तु सिविल प्रशासन द्वारा दिन में वाहनों के संचलन पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण बहुधा रेकों को खाली करने में विलम्ब हो जाता है।

भागलपुर गुड्स शेड को टिकानी में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। टिकानी में गुड्स शेड का निर्माण एक मंजूरी प्राप्त कार्य है और इस पर कार्य चल रहा है।

2. मुंगेर जिला : वर्त्तमान में मुंगेर जिला में स्थित जमालपुर गुड्स शेड में दो स्पर लाइनें हैं जहाँ इस गंतव्य के लिए माल के लदान एवं उतराई का कार्य किया जा सकता है। तथापि वर्त्तमान में जमालपुर से आवाजाही के लिए यातायात सुविधा नगण्य है ।

फिर भी, जमालपुर में पूरे रेक को रखने की क्षमता वाला गुड्स शेड विकसित किया जाएगा और जमालपुर यार्ड के पुनर्विन्यास एवं आरआरआई सहित इसके विकास का कार्य किया जा रहा है ।

3. बांका जिला : बांका स्टेशन को हाल ही में यातायात के लिए खोला गया है। टिकानी में गुड्स शेड खोले जाने के साथ ही बांका जिला में लदान एवं उतराई की सुविधा मिल जाने से आवश्यकताओं की पूर्त्ति हो जाने की उम्मीद है।

4. लखीसराय जिला : इस जिला में स्थित बड़े स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे के अधीन आते हैं।

सुझाव : आधे रेक को रखने की क्षमता वाले वर्त्तमान सभी साइडिंगों /शेडों को पूर्ण रेक क्षमता वाले गुड्स शेड/साइडिंग में परिवर्तित किया जाए।

अभियुक्ति : बिहार राज्य में पूर्व रेलवे का आधा रेक क्षमता वाला कोई साइडिंग नहीं है।

सुझाव : पटना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फतुहा (दानापुर) एवं दानापुर स्थित रेक साइडिंग की क्षमता को दोगुना किया जाए।

अभियुक्ति : यह मामला पूर्व रेलवे से सम्बन्धित नहीं है।

सुझाव : पुनपुन (डीएनआर) के समीप प्रस्तावित साइडिंग के कार्य में तेजी लाई जाए।

अभियुक्ति : यह मामला पूर्व रेलवे से सम्बन्धित नहीं है।

सुझाव : हाजीपुर के निकट, जिसे अब पटना का विस्तार माना जाता है, और अधिक संख्या में गुड्स शेड/साइडिंग उपलब्ध कराए जाए। वहां हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र भी है।

अभियुक्ति : यह मामला पूर्व रेलवे से सम्बन्धित नहीं है।

सुझाव : मुगलसराय एवं झाझा के बीच अतिरिक्त ट्रैक बिछाने के कार्य को अत्यावश्यक समझते हुए इसमें तेजी लाई जाए।

अभियुक्ति : यह मामला पूर्व रेलवे से सम्बन्धित नहीं है।

उपर्युक्त सुझावों हेतु श्री रामचन्द्र प्रसाद ने आग्रह किया कि अपनी संस्तुति के साथ सक्षम पदाधिकारी को अग्रसारित करें।

टैरिफ बढ़ाना समाधान नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम कर सस्ती बिजली का करें उपाय

जन सुनवाई : दूसरे दिन व्यापार जगत के साथ ही आम लोगों ने भी रखी बात

साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किये है। प्रस्तावित दर पर दूसरे दिन बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एस० के० नेगी की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। कार्यक्रम की शुरूआत में विद्युत कंपनी के प्रतिनिधि ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को कई श्रेणियों में बांटी गयी है। इसमें के-वन में 88 प्रतिशत, डीएस-वन में 98 प्रतिशत, डीएस-टू में 97 प्रतिशत डीएस-तीन में 118 प्रतिशत, एसएस-वन में 120 प्रतिशत, एसएस-टू में 120 प्रतिशत, एचटीएस में 120 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति करने में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस करीब 48 प्रतिशत है। इस स्थिति में टैरिफ बढ़ाना मजबूरी है।

मांग के अनुसार आपूर्ति के लिए सूबे में बिजली उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता

उद्योग पहले से ही दवा है : किसी भी उद्योग को विकास के लिए सस्ते मैन पावर के साथ सस्ती ऊर्जा भी चाहिए होती है, ताकि कंपनी द्वारा बनायी गयी

वस्तुओं की लागत कम हो। यदि दूसरे राज्य उसी वस्तु का उत्पादन कम लागत में करेंगे, तो उनका विकास ज्यादा होगा और वे अपने कर्मचारियों को अधिक सहायता दे पायेंगे। बिहार में प्रस्तावित बिजली दर से औद्योगिक क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पडेगा। बिजली महंगी होने से उत्पादन की लागत भी बढ जायेगी। इससे जर्जर उद्योगों की स्थिति और बदतर हो जायेगी।

– अर्जुन लाल

कल्याणपुर सीमेंट व बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री

व्यवस्था में सुधार जरूरी : बिजली के क्षेत्र में काफी काम हुआ है और सप्लाइ भी बढ़ी है। बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन, लचर व्यवस्था की वजह से विद्युत कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है। बिजली की जितनी जरूरत है, उतनी बिजली खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे उपभोक्ताओं पर बोझ कम पड़ेगा। ट्रांसमिशन लॉस 48 प्रतिशत है, इसे कम करने के उपाय होने चाहिए। सरकार से मिलनेवाली अनुदान की राशि से उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल रहा था। – संयज भरतीया, दीना आयरन

नहीं खरीदे महंगी बिजली : देश की कई कंपनियाँ बिजली उत्पादन करती है। बिजली बाजार में काफी प्रतिस्पर्धा है और बाजार में 2.60 रुपये से 2. 90 रुपये तक प्रति यूनिट की बिजली उपलब्ध है। इसके बाद भी विद्युत कंपनी पाँच रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है। बाजार से महंगी बिजली खरीदने की क्या वजह है? ट्रांसमिशन लॉस कम करने के बदले टैरिफ बढ़ायी जा रही है।

– सूरज समदर्शी, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन

उद्योग के लिए अनुचित : बिहार में पहले ही उद्योग कम है। कंपनी ने जिस तरह से दर प्रस्तावित किये हैं। वह उद्योग के लिए कहीं से उचित नहीं है। आयोग से मांग की गयी है कि खुले बाजार से बिजली खरीदने की व्यवस्था करे इससे सस्ती बिजली मिल सकेगी और उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी।

– सुभाष पटवारी, पटवारी स्टील फैक्टरी

(साभार : प्रभात खबर, 1.3.2017)

ट्रेडमार्क नियम में 5 बदलाव अहम

सरकार ने नए ट्रेडमार्क नियम अधिसूचित किए हैं, जिन्होंने 2002 से चल रहे पुराने नियमों की जगह ले ली है। उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से मंजूरी की प्रक्रिया तेज होगी और आवेदन भी बढ़ेंगे, जो पिछले कुछ महीनों से दिख भी रहा है। पहले आवेदन को जांचने में 13 महीने लगते थे, लेकिन जनवरी, 2017 आते-आते अवधि घटकर 1महीना ही रह गई। आधिकारिक आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2015-16 में उससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 35 फीसदी अधिक आवेदन आए। नए नियमों में पाँच अहम बदलाव इस प्रकार हैं, जो आपको पता होने चाहिए।

कारोबार की राह आसान : सबसे पहली और अहम बात यह है कि आवेदक को पहले 74 फॉर्म भरने पड़ते थे, जिनकी संख्या अब घटकर 8 रह गई है। आवेदकों के लिए यह बड़ी आफत थी और विभिन्न हितधारकों के साथ सरकार की बातचीत में पता चला था कि पहली बार आवेदन करने वाला व्यक्ति इतने ज्यादा फॉर्म देखकर आवेदन से ही तौबा कर सकता है।

शुल्क में कटौती : नए नियमों में व्यक्तिगत आवेदकों, स्टार्टअप और छोटे उद्यमों के लिए आवेदन शुल्क घटाकर 4,500 रुपये कर दिया गया है। जबकि मसौदा तैयार करते वक्त 8,000 रुपये शुल्क रखने का प्रस्ताव रखा गया था।

डिजिटल पर बल : आवेदकों से रजिस्ट्री तक और रजिस्ट्री से आवेदक तक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने की प्रणाली लाई गई है ताकि प्रक्रिया तेज हो सके। आवेदक के पते में ई-मेल को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि सूचना ई-मेल के जरिये फौरन भेजी जा सके।

ई फाइलिंग पर जोर : आवेदनों की ई फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन फाइलिंग पर शुल्क को कागजी फाइलिंग के मुकाबले 10 फीसदी कम रखा गया है। अनुसूची 1 में प्रविष्टियों की संख्या भी 88 से घटाकर 23 कर दी गई है, जिसके कुल शुल्क में कमी आई है।

मंजूरी प्रक्रिया में स्पष्टता : पहली बार जाने माने ट्रेडमार्कों को निर्धारित करने की प्रक्रिया पहली बार स्पष्ट की गई है। साथ ही आवेदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रावधानें को पंजीकरण के चरण तक लागू कर दिया गया है।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.3.2017)

उद्यमियों को लोन नहीं देने वाले बैंकों पर होगी कार्रवाई

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने राज्य के उद्यमियों को ऋण नहीं देने वाले बैंकों को कहा– बिना किसी कारण के प्रोजेक्ट रिपोर्ट को खारिज करने वाले बैंकों की शिकायत केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग सर्विस विभाग से की जाएगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईपी) जैसी महत्वपूर्ण योजना के तहत भी ऋण देने में बैंक आनाकानी कर रहे हैं, जो अब नहीं चलने वाला है। प्रधान सचिव, विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में केले के थंब पर आधारित उद्योग के लिए दिए गए आवेदन को निरस्त किए जाने के बाद बैंकों के प्रतिनिधि और उद्यमियों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में केले का उत्पादन वृहत पैमाने पर होता है। केला कट जाने के बाद इसका थंब कचरा हो जाता है, लेकिन इसके थंब से रेशा बनाकर हस्तशिल्प उत्पाद, कागज, वर्मीकंपोस्ट और वायो फर्टिलाइजर बनाया जा सका है। 17 मार्च को बैंक, केले के थंब पर आधारित उद्योग के विशेषज्ञ और उद्यमियों के साथ एक और बैठक होगी। दरअसल पीएमईपी के तहत केले के थंब पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 138 उद्यमियों ने बैंक में ऋण आवेदन दिया था। जिसे यह कहते हुए बैंक ने आवेदन खारिज कर दिया था कि केले के थंब पर आधारित उद्योग सफल नहीं हो सकता है।

बिहार में 31 हजार हेक्टेयर में होती है केले की खेती : प्रदेश में 31 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर केले की खेती होती है। हर वर्ष 1417 हजार मीट्रिक टन केले का उत्पादन होता है। उत्पादन में हर वर्ष वृद्धि होती जा रही है। राज्य के मुजफ्फरपुर, कटिहार, खगडिया, सारण, समस्तीपुर, भागलपुर, वैशाली, बेगूसराय और पूर्णिया जिले में केले का काफी उत्पादन होता है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 11.3.2017)

बुद्ध सर्किट के नए सिरे से विकास को डीपीआर तैयार

राज्य के बुद्ध सर्किट से जुड़े स्थलों को नए सिरे से विकास होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया है। डीपीआर को अंतिम रूप देने से पहले को विभाग ने मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के समक्ष पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया। डीपीआर को जल्द ही केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार बुद्ध सर्किट के विकास के लिए केन्द्र से दो सौ करोड़ मांगने की योजना है। इसको लेकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों पर और बेहतर पर्यटकीय सुविधाएँ विकसित करने और कुछ और स्थलों को इस सार्किट से जोड़कर उनका विकास करने पर काम होना है। इसके लिए राज्य सरकार स्वयं खर्च तो कर ही रही है, केन्द्र से भी राशि मांगी है। गया, नालंदा, भागलपुर, पूर्वी चंपारण सहित अन्य कई जिले भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं।

ये सर्किट हैं बिहार में : बिहार में फिलहाल छह बुद्धसर्किट, सूफी सार्किट, जैन, सिख, हिन्दू व ईको सर्किट हैं।

बुद्ध सर्किट : गया, नालंदा, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण बैशाली, जहानाबाद। **(साभार : हिन्दुस्तान, 2.3.2017)**

दिनांक 01.04.2017 से 69 अनुसूचित नियोजनों में लागु पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र. सं.	कामगारों की कोटि	दिनांक 01.12.2016 से निर्धारित मजदूरीकी दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 1.4.2017 से प्रभावी होगी	1.4.2017 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	अकुशल	237.00	5.00	242.00 प्रति दिन
2	अर्द्धकुशल	247.00	5.00	252.00 प्रति दिन
3	कुशल	301.00	6.00	307.00 प्रति दिन
4	अतिकुशल	367.00	7.00	347.00 प्रति दिन
5	पर्यवेक्षीय/ लिपिकीय	6799.00	136.00	6935.00 प्रति माह

(साभार : बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.3.2017)

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित
24 फल्गुन 1938 (श.)
(सं. पटना 196) पटना, बुधवार, 15 मार्च 2017
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना
10 मार्च 2017

जी. एस. आर. 1. दिनांक 15 मार्च 2017- भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) का का. आ. (अ) 3341 दिनांक 27.10.2016 के द्वारा प्रकाशित विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और निर्बधन) हटाना संशोधन आदेश, 2016, जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और निर्बधन) हटना आदेश, 2016 में प्रयुक्त क्रय, संचलन, बिक्री, प्रदाय, वितरण अथवा बिक्री के लिए भंडारण शब्दों और पदों को 'चीनी' के सम्बन्ध में 28 अप्रैल 2017 की अवधि तक प्रास्थगित रखा गया है, के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 (1995 का 10) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित आदेश करते हैं:-

1. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2354 दिनांक 15.07.2003 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश, 1984 की अनुसूची-1 से 'चीनी' को विलोपित किए जाने संबंधी आदेश, दिनांक 28.4.2017 की अवधि तक प्रास्थगित रहेगा।
2. चीनी के थोक एवं खुदरा व्यापार की अनुज्ञप्ति के संबंध में, बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश, 1984 के प्रावधान लागू रहेंगे।

परन्तु 10 (दस) क्विंटल तक चीनी का व्यापार करनेवाले व्यापारी बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश, 1984 के अधीन अनुज्ञप्ति से मुक्त रहेंगे।

3. तत्संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचनायें / आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
4. यह आदेश इस अधिसूचना की तिथि से प्रवृत होगा।

[(सं. प्र.4/ आ-01 /09, खंड- 1) -1284]
बिहार के राज्यपाल के आदेश से
भरत कुमार दुबे
सरकार के अपर सचिव।

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित
---
24 फल्गुन 1938 (श.)
(सं. पटना 197) पटना, बुधवार, 15 मार्च 2017

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना
10 मार्च 2017

जी. एस. आर. 2. दिनांक 15 मार्च 2017- भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा सा. का. नि. -929(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 2016 एवं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2015 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल दाल-दलहन के अनुज्ञापन स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते हैं:-

1. बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 5670 दिनांक 18.12.2009 द्वारा दाल एवं दलहन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2017 तक लागू रहेगा।
2. एतद्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ / आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

(सं. प्र.4/ आ-01/2015-1285)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से
भरत कुमार दुबे
सरकार के अपर सचिव।

Centre nod to urban haat plan for Silk City

WEAVERS OF SILK CITY, PARTICULARLY SMALL AND MARGINAL, NEED A MARKET PLACE TO SELL THEIR PRODUCE

BHAGALPUR : Decks could be cleared soon to establish an urban haat in the silk city to promote sale and purchase of local silk. The Union textile ministry is willing to fund such a project.

Taking note of the fact that weavers, particularly small and marginal, need a market place to sell their produce, the local authorities had put forward proposal for establishment of a haat to the Union textile ministry.

A ministry team was here last month to take stock of measures need for development of local silk industry.

Divisional commissioner Ajay Kumar Choudhary said a communication has been received from development commissioner (handloom) of the textile ministry asking for submission of a project report on the haat and identify land for its establishment.

Choudhury said the idea is to establish a common facility for weavers. The Union has also allowed the administration to start work in a rented premises till the haat was established.

Choudhary said the proposed centre would have all facility, right from weaving to packaging of produce. He said a project report would be submitted to the Union ministry soon.

(Details : Hindustan Time, 6.3.2017)

राज्य के कृषि उद्यमियों को मौके उपलब्ध कराएगा फार्म टू फोक

एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है लेकिन इस ओर युवा नहीं जा रहे। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होने के बावजूद युवाओं में क्रेज इस सेक्टर को लेकर नहीं रहा है। अब इकोनॉमी की इस जरूरत को युवा के कॅरियर प्वाइंट के तौर पर डेवलप करने के लिए इन्वयूबेटिंग एंड फंडिंग एजेंसी आईडी 8 के फाउंडर अमित मिश्रा एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यह शुरूआत एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टार्टअप को मदद करने के लिए एक्सीलरेटर की स्थापना की जा रही है, जिसका नाम फार्म टू फोक रखा गया है।

क्या है फार्म टू फोक का मकसद : खेती और इससे जुड़े उद्योगों में युवाओं की कमी को दूर करना फार्म टू फोक का मकसद है। इसके लिए उन स्टार्ट अप बिजनेस मॉडल को चुना जाएगा जिनमें प्रॉफिटैबिलिटी की संभावना है। इन मॉडल को इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करने से लेकर इसकी पूरी फंडिंग की व्यवस्था भी होगी। बीईए के महासचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि युवाओं का रुझान एग्रीकल्चर स्टार्टअप की ओर बहुत कम है। इसके पीछे एक बड़ा कारण इस सेक्टर में एक्सीलरेटर की कमी होना है। लेकिन फार्म टू फोक की शुरूआत के साथ यह दिक्कत दूर हो जाएगी। आइडिया के आधार पर युवा उद्यमियों के बिजनेस मॉडल को हम तैयार कराएंगे और बाद में इन्वेस्टमेंट का काम फार्म टू फोक करेगी। इससे युवाओं को इस सेक्टर में भी लाभ दिखेगा और हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी युवाओं की मदद से और मजबूत होगी। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 6.3.2017)**

गंगा पर छह लेन पुल के लिए जमीन की बाधा दूर

कच्ची दरगाह- बिदुपुर सड़क पुल का काम आगे बढ़ा

पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर तक गंगा पर छह लेन का पुल बनना है। राज्य सरकार ने इसके लिए सतत लीज से जमीन लेने की योजना शुरू की थी। इस प्रक्रिया से मात्र दो एकड़ जमीन ही पुल के लिए मिल सकी। इसके अलावे रास्ते में लगभग 56 एकड़ जमीन सरकारी है। जरूरी जमीन का 45 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध हो जाने पर ही निर्माण एजेन्सी को धरातल पर काम शुरू करने की अनुमति दी जानी थी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पुल का निर्माण गाँधी सेतु के विकल्प के रूप में होना है। गाँधी सेतु की जर्जर स्थिति को देख राज्य सरकार ने इस पुल को बनाने का फैसल किया है। इससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए एक नई राह बन जाएगी।

इस पुल को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार में काफी विवाद हुआ। केन्द्र चाहता था कि राज्य सरकार कच्ची दरगाह और बिदुपुर के बीच पुल बनाने का इरादा छोड़ दे। लेकिन राज्य सरकार का तर्क था कि इस पुल का काम बहुत आगे बढ़ चुका है और अगर इसे रोककर फिर से नये पुल पर काम शुरू होगा तो काफी विलंब होगा। लिहाजा केन्द्र ने इस पुल के लिए पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। बाद में राज्य सरकार ने अपने दम पर इसके निर्माण की योजना बनाई।

जल्द होगा काम : • लीज के बदले अधिग्रहण हुआ तो मिली 80 प्रतिशत जमीन • पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर तक बनना है पुल • 5.6 किलोमीटर होगी पुल की लंबाई • 05 हजार करोड़ की है योजना • 06 लेन का होगा पुल • 03 हजार करोड़ देगी एडीबी • 02 हजार करोड़ देगा राज्य • उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए एक नई राह मिलेगी

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.3.2017)

मीलों दूर बैठ कर दर्ज करा सकेंगे शिकायत

आधुनिक पुलिसिंग में बिहार पुलिस को भी अब पंख लगने जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने कदम बढ़ाया है जिससे थानों के ऑनलाइन होने की राह आसान होती दिख रही है। थाना के ऑनलाइन होने के बाद पुलिस के साथ साथ आम आदमी का काम भी काफी आसान हो जाएगा। हेडक्वार्टर ने प्रदेश के सभी जिलों से रिक्वायरमेंट के साथ अन्य कई अहम जानकारी मांगी है।

CCINS में प्रदेश पीछे : सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम) में बिहार देश के काफी पिछड़े राज्यों में शामिल है। ये योजना केन्द्र सरकार की है और इसके सहारे पूरे देश के थानों को ऑनलाइन करने का लक्ष्य है। देश के कई प्रदेशों में पिछड़े से पिछड़ा थाना ऑनलाइन हो गया है। राजधानी पटना में भी कई थानों पर अभी सिस्टम नहीं लग सका है। ऐसे में ऑनलाइन थाना की बात को महज कल्पना है, क्योंकि बिहार में अभी कई जिले ऐसे हैं जहाँ थानो की स्थिति खराब है। कहीं भवन का हाल बेहाल तो कहीं संसाधनों की समस्या है। बिहार आधुनिक पुलिसिंग में देश के पचास प्रतिशत से अधिक प्रदेश से काफी पीछे चल रहा है।

समय की मांग : अपराध और अपराधी दोनों हाईटेक हो गए है और इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को भी काफी एक्टिव रहना होगा। ऐसे में ऑनलाइन थाना समय की मांग है। क्योंकि थाना जब ऑनलाइन होगा तो पीड़ितों को थाना जाने से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। अन्य प्रदेशों में जहाँ ऑनलाइन थानो की व्यवस्था है वहाँ आम लोगों को काफी राहत है।

(साभार : आइनेक्स्ट, 4.3.2017)

आवेदक को नाम-पदनाम के साथ देनी होगी रसीद

सरकारी दफ्तरों या अधिकारियों को दिए जाने वाले आवेदनों की रसीद लोगों को तय नियमों के तहत पूरी जानकारी के साथ भरकर दी जाएगी। रसीद में कार्यालय के नाम के साथ प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और नाम-पदनाम भी दर्ज होगा। यही नहीं इसमें आवेदक का नाम-पता और आवेदन लिए जाने की तारीख दर्ज होगी। डाक से भेजे गए आवेदनों में भी ऐसा ही कुछ नियम लागू होगा।

नहीं पालन किया तो कार्रवाई : नियम के तहत यदि किसी सरकारी कार्यालय से लोगों को उनके आवेदन की रसीद नहीं दी जाती है तो संबंधित कर्मचारी-अधिकारी पर कार्रवाई भी होगी। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया है कि हर हाल में आवेदन के बदले दी जानेवाली रसीद को नियमपूर्वक भरा जाए।

हस्ताक्षर कर दे देते थे : आवेदन होने के बाद इसकी रसीद अमुमन कर्मचारियों द्वारा छोटे हस्ताक्षर कर दे दिए जाते थे। दिक्कत आने पर यह पता नहीं हो पाता था कि किसने आवेदन लिया। इसके चलते जवाब देही तय नहीं हो पाती थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पहले भी आदेश दिया था, पर नियम का पालन नहीं होने की शिकायतें मिलने के बाद यह सख्ती की गई है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.3.2017)

मढ़ौरा रेल कारखाने में बनेंगे 900 डीजल इंजन

छपरा के मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाने का निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व आसपास के गाँव की सूरत बदली जाएगी। रेलवे ने कारखाना निर्माण का कार्य पीपीपी मोड के तहत अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को दिया है। 2019 तक इस कंपनी से उत्पादन शुरू होने के 11 वर्षों के अंदर इस कंपनी की ओर से 900 से अधिक डीजल इंजन निर्माण का दावा किया जा रहा है। इंजन निर्माण की संख्या उस समय की जरूरत के हिसाब से तय की गई है। कंपनी ने रेलवे के सहयोग से आसपास के गावों में विशेष अभियान चलाते हुए 15 गाँवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की कोशिश शुरू कर दी हैं। **(दैनिक जागरण, 5.3.2017)**

ई-रेल टिकट बुकिंग के लिए आधार जरूरी होगा

रेल मंत्रालय ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आधार को जल्द ही अनिवार्य करने जा रहा है। इससे टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 2017-18 के लिए यात्री और माल परिवहन संबंधी नई व्यापार नीति जारी की। इसके अनुसार आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए एक बार आधार संख्या की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ई-टिकट बुकिंग पर आधार नंबर डालते ही यात्री की समस्त जानकारी खुद दर्ज हो जाएगी। **(आभार : हिन्दुस्तान, 3.3.2017)**

पटना जिले में 40 प्याज भंडारण केन्द्र खुलेंगे

प्याज की खेती करने वाले किसानों को अधिक पैदावार होने पर औने-पौने दाम में बेचने की मजबूरी नहीं होगी। सरकार ने इसके निदान के लिए कमर कस ली है, ताकि किसानों को परेशानी न हो। कृषि विभाग जिले के किसानें को कम लागत प्याज भंडारण केन्द्र खोलने पर 50 प्रतिशत अनुदान दे रहा है। इसके तहत जिले में 40 जगहों पर कम लागत प्याज भंडारण केन्द्र खोले जाएंगे।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.3.2017)

वासन्तिक नवरात्र एवं श्रीरामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ
— शशि मोहन, महामंत्री

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org